संख्या- 3/2015/126 /अड़तीस-9-15-02(बायो)/2014

प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 13 फरवरी, 2015**

विषय- बायो वेस्ट के उपयोग व उससे बायोगैस उत्पन्न करने हेतु मनरेगा योजना के अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य के अन्तर्गत कनवर्जेन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित मनरेगा योजना के अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य के अन्तर्गत कनवर्जेन्स पर बायोगैस वेस्ट प्लान्ट निर्मित कर सॉलिड, लिक्विड वेस्ट मैटेरियल का ट्रीटमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में मनरेगा मार्ग निर्देशिका-2013 के **प्रस्तर-7.13 के संशोधित अनुसूची के पैरा-XV** के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इस हेतु ग्राम पंचायतें वर्ष 2015-2016 के लेबर बजट/कार्य योजना में इस कार्य को निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत सम्मिलित करने पर विचार करने का कष्ट करें:-

(1)- जिन ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग/यूनीसेफ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, वहॉ पर कार्य योजना बनाते समय मनरेगा योजनान्तर्गत कनवर्जेन्स की कार्य योजना बनायेंगे।

(2)- जिन ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग/यूनीसेफ द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वहॉ मनरेगा योजना के अन्तर्गत इस कार्य को कार्य-योजना में सम्मिलित करेंगे।

2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कार्य-योजना ग्राम्य विकास आयुक्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 3/2015/126 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी0ओ0-160/कार्यक्रम-बायोगैस/2014-15, दिनांक-01.10.2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि राज्य समन्वयक बायो इनर्जी मिशन सेल से उक्त कार्य हेतु सर्वप्रथम मॉडल स्टीमेट प्राप्त करते हुये समस्त ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्य-योजना बनाते समय ग्राम पंचायतें उक्त परियोजना के चयन पर विचार कर सकें। साथ ही बी0ई0एम0सी0 यूनीसेफ मॉडल बायोगैस प्लान्ट के सम्बन्ध में राज्य समन्वयक बायो इनर्जी मिशन सेल से समन्वय स्थापित कर समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/ संयुक्त आवास आयुक्तों की मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रोजेक्ट का 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण कराने तथा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा प्राप्त कार्य-योजना को समेकित रूप से ग्राम्य विकास अनुभाग-7 को उपलब्ध करावें, ताकि वें इस पर अग्रेतर कार्यवाही कर सकें।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in